

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

बाबूलाल पिता सुभमल बनाम डाल्चन्द पिता टेका

किस्म मुकदमा:- इजराय आदेश -21 नियम-11
जी.सी.एम.एस. नम्बर:- 2025/475

नम्बर 39 सन 2025

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 21/11/2025 | <p>इजराय सीगे से बाद जाँच पेश हुई। अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। इजराय दर्ज रजिस्टर कि जाकर डिक्री एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को भेजकर पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 11/12/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया/जिला भीलवाड़ा</p> | |
| 11/12/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियां द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 22/11/26 को वास्ते पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p> | |
| 17/11/25 | <p>पत्रावली: ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर खलानियां में जो डिक्री तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त - रिपोर्ट प्राप्त है, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मन्तर से मुम होकर, दायित्व दफ्तर में</p> <p style="text-align: right;">शिविर प्रभारी ग्रामिण सेवा फॉलोअप शिविर 2025 शु. अभिभाषक/सह. बिजौलियां</p> | |





राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

दिनांक: 27/11/2025

क्रमांक/रीडर/2025/3100

विविध:-

तहसीलदार
बिजौलियां।

विषय:- इजराय प्रकरण संख्या 39/25 बाबूलाल बनाम डालचन्द की पालना किये जाने बाबत्।

संदेह,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इजराय प्रकरण संख्या 39/25 बाबूलाल बनाम डालचन्द की पालना की पालना बाबत् मूल वाद प्रकरण संख्या 39/25/2025 वात्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 10.11.2025 के निर्णय एवं डिक्री की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः किसी अन्य न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं होने पर यमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट दिनांक 10.12.2025 से पूर्व इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करें।

संलग्न:- निर्णय एवं डिक्री की फोटो प्रति एवं नक्शा ट्रेस।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

0/c